माननीय न्यायमूर्ति *टी. एच. बी. चलपति के समक्ष*

राजेंद्र,-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य,-उत्तरदाता

Crl. Appeals No. 1998 1046/SB of 1998 & No. 134/SB/1999

23, दिसंबर, 1999

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा. 201 *और 304-B-साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 113-B-संदिग्ध परिस्थितियों में शादी के 4 साल बाद पत्नी की मृत्यु-धारा 304-B और 201-आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए पति और उसके भाई को दोषी ठहराते हुए सत्र न्यायालय-दहेज के लिए मांग-मांग और मृत्यु के बीच दो साल का अंतराल-'मृत्यु से तुरंत पहले' कोई मांग नहीं की गई-धारा 113-B के तहत यह उपधारणा नहीं लगाई जा सकती है कि मृत्यु दहेज मृत्यु थी-अपीलार्थियों को बरी कर दिया गया।*

अभिनिर्णीत किया गया कि, जब विवाह के तीन वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-B के तहत यह उपधारणा होगी कि मृत्यु दहेज मृत्यु थी, यदि यह दिखाया जाता है कि ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के लिए धारा 113-B के तहत इस धारणा को लागू करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि महिला को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था और यदि उत्पीड़न या क्रूरता मृत्यु से बहुत पहले की जाती है, तो यह उपधारणा अभियोजन पक्ष को उपलब्ध नहीं होगी।

(पैरा 10)

इसके अलावा अभिनिर्णित, *मृतक* के पिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि दूसरी मांग पहली मांग के दो साल बाद की गई थी।इसलिए यह मांग 1994 में कुछ समय के लिए की गई होगी, लेकिन 1996 में मृतक की मृत्यु हो गई।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु से तुरंत पहले कोई मांग की गई थी। इसलिए मांग और मृत्यु के बीच के बीच दो वर्षों के बीत जाने से अधिनियम की धारा 113-B के तहत की

उपधारणा को नहीं लगाया जा सकता है।

(पैरा 19)

दोनों अपीलों में *अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता अशित मलिक।*

यश पाल, ए. ए. *जी., हरियाणा राज्य के लिए।*

निर्णय

टी. एच. बी. चलपति, जे.

(1) ये अपीलें 1996 के सत्र मामला संख्या 53 (1998 का सत्र मुकदमा संख्या 16) दिनांक 9 नवंबर, 1998 में पानीपत के विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर की गई हैं।

(2) अभियुक्त सं. 2 राजिन्दर,1998 की आपराधिक अपील सं. 1046-SB. में अपीलार्थी है जबकि अभियुक्त सं. 1 सुभाष आपराधिक अपील सं.134-SB-1999 मे अपीलार्थी है। अन्य अभियुक्त 3 और 4 को विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनकी जाँच से पहले ही बरी कर दिया है, इस आधार पर कि उक्त धारा के तहत उनकी जांच को सही ठहराने के लिए उनके खिलाफ कोई दोषपूर्ण सबूत नहीं था। अभियुक्त-अपीलार्थियों को धारा 304-B और 201 आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और धारा 304-B के अपराध के लिए 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 5,000 रुपये का जुर्माना प्रत्येक पर लगाया गया है। धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए प्रत्येक को तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा और जुर्माने की राशि मृतक के माता-पिता को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया था।

(3) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक राज बाला की शादी आरोपी संख्या 1 सुभाष (1999 की आपराधिक अपील संख्या 134-S.B. में अपीलार्थी) से हुई थी और दूसरा आरोपी पहले आरोपी का भाई है और वे दोनों अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसे परेशान कर रहे थे और पीट रहे थे।शिकायतकर्ता, मृतक के पिता दीप चंद के अनुसार, मृतक की मृत्यु से लगभग दो साल पहले, आरोपी सुभाष मृतक के साथ उनके पास आया था और 7000 रुपये की राशि एक दुकान खोने के लिए मांगी थी और सुधाश ने धमकी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह राज बाला को

अपने साथ नहीं रखेंगे। उस पर शिकायतकर्ता ने सुभाष को उसकी मांग को पूरा करने के लिए राशि दे दी।इसके बाद उसकी बेटी फिर से वापस आई और उसे बताया कि दोनों आरोपी उसे परेशान करते थे और रुपये की एक और राशि 5000 चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई कृष्ण से शादी करनी थी।चूंकि वह उस मांग को पूरा नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी राज बाला को अपने साथ ही रखा। कुछ समय के लिए इसके बाद मृतक की सास अपने बेटे कृष्ण की शादी के कारण राज बाला के पास आई, जो 16 जून, 1996 को होनी थी। शादी के कारण धिकायतकर्ता ने राज बाला को उसके साथ भेज दिया। 28 जून, 1996 को दूसरे आरोपी राजिंदर ने उसे बताया कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है।फिर वह परभू के बेटे मांगे राम, रतिया के बेटे दज्जा और अन्य लोगों के साथ गाँव बंद गया जहाँ उन्हें पता चला कि अभियुक्तों ने 27 जून, 1996 को दोपहर लगभग 2:30 बजे राज बाला को उनके घर में जिंदा जला दिया और सबूतों को गायब करने के इरादे से उसके शरीर का अंतिम संकर कर दिया। दीप चंद की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।जाँच पूरा होने के बाद, सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 304-B और 201 आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए और वैकल्पिक रूप से धारा 302 आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है।

(4) सत्र न्यायालय को मामला सौंपने के बाद, विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ उनके समक्ष रखे गए तथ्यों के आधार पर धारा 304-B और 201 आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए चार्ज फ्रेम किए व वैकल्पिक रूप से धारा 305 और 201 आई. पी. सी. के चार्ज फ्रेम किए गए। सभी अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

(5) अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों और चिह्नित दस्तावेजों की जांच की।अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य को बंद करने के बाद, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, आरोपी संख्या 3 और 4 को बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध साबित करने वाला सबूत नहीं था। अभियुक्त संख्या 1 और 2, जो यहाँ अपीलार्थी हैं, से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई है। उन्होंने अपनी बेगुनाही का अनुरोध किया और दावा किया कि मृतक राज बाला की बीमारी के कारण प्राकृतिक मृत्यु हो गई थी। बचाव में आरोपी ने कोई गवाह पेश नहीं किया।

(6) अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर, विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को धारा 304-B और 201 आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें ऊपर बताए अनुसार सजा सुनाई।इसलिए ये अपीलें की गई हैं।

(7) यह देखा जाना है कि क्या मृतक राज बाला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और क्या उसकी मृत्यु दहेज हत्या है।

(8) इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि पहले आरोपी सुभाष ने मृतक से उसकी मृत्यु से लगभग छह साल पहले शादी की थी।इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि मृतक की मृत्यु 28 जून, 1996 को हुई थी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी किया गया था। इस प्रकार यह सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राज बाला की मौत का कारण आरोपी हैं। इसलिए विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उचित रूप से अभियुक्त को धारा 302 आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया। इसलिए, विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या मृतक की मृत्यु दहेज मृत्यु के बराबर है ताकि धारा 304-B आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराया जा सके। धारा 304-B निम्नानुसार हैः–

> धारा 304-B: दहेज मृत्यु: (1) जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार किया गया, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।
>
> (2)' जो कोई भी दहेज हत्या करता है, उसे सात साल से कम की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है।

(9) इस खंड को आकर्षित करने के लिए, चार अवयवों को स्थापित करना होगा।– (1) महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होनी चाहिए (2) ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात साल के

भीतर होनी चाहिए (3) महिला को उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए (4) क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि क्या मृतक की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई थी और क्या उसे उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया और क्या क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में थी।

(10) इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब किसी महिला की शादी के तीन साल के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-B के तहत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृत्यु दहेज मृत्यु थी, यदि यह दिखाया जाता है कि ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना *पड़ा था।" पंजाब* राज्य *बनाम इकबाल सिंह*[1] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां दहेज मृत्यु के मामले में यदि यह साबित हो जाता है कि महिला को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, तो यह उपधारणा कि जिस व्यक्ति ने उसे इस तरह की क्रूरता का शिकार बनाया था, वह उसकी मृत्यु का कारण बना था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन के लिए यह आवश्यक है की साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-B के तहत उपधारणा को लागू करने के लिए कि महिला को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था और यदि उत्पीड़न या क्रूरता मृत्यु से बहुत पहले की जाती है, तो यह उपधारणा अभियोजन पक्ष को उपलब्ध नहीं होगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत उपधारणा का आह्वान करने के लिए धारा 113-बी में "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले" शब्द का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपधारणा इस प्रकृति के मामले में उठाया जा सकता है जहां एक दोषसिद्धि अनुमान पर आधारित हो,।न्यायालय के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह उचित सावधानी और सावधानी के साथ साक्ष्य की जांच करे।

(11) उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में साक्ष्य की जांच

(1) ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1532

की जानी चाहिए कि क्या आरोपी दहेज हत्या के अपराध के दोषी हैं।

(12) पीडब्लू-1 केवल एक औपचारिक गवाह है। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने 15 जुलाई, 1996 को आरोपी नंबर 4 राधे शाम को गिरफ्तार किया था। पीडब्लू-2 मृतक का मामा है। उसके अनुसार, आरोपी सुभाष और उसके भाई राजिंदर ने मृतक राज बाला को शादी के बाद लगभग पांच महीने तक ठीक से रखा। इसके बाद राज बाला (मृतक) गाँव आई और अपने पिता दीप चंद से 7000 रुपये की राशि मांगी। यह मांग उसके पति द्वारा दुकान स्थापित करने के लिए की गई और दीप चंद उसे रुपये की राशि देने के लिए बाध्य था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वह उस समय मौजूद नहीं थे। इसलिए, 7,000 रुपये की मांग के बारे में उनका सबूत केवल सुना-सुनाया साक्ष्य है। आगे कहा कि कुछ समय बाद अभियुक्त संख्या 1 ओर 2 ने फिर से मृतक को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे और पैसे लाने के लिए कहा और उन्होंने उनके छोटे भाई की शादी के लिए आवश्यक 5,000 रुपये की राशि की मांग की। यह उनके साक्ष्य में भी है कि यह मांग पहली मांग के लगभग दो साल बाद उठाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यह तथ्य मृतक ने खुद बताया था जब वह दीप चंद के घर गई थी जहां वह आई हुई थी। उसने यह भी बयान दिया कि मृतक ने उसकी उपस्थिति में बताया कि आरोपी सुभाष और राजिंदर ने उसकी मांग पूरी नहीं होने पर उसे जान से मारने की धमकी दी और आरोपी, सुभाष के साथ उसकी शादी के समय दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि मृतक की सास मृतक के पास उसकी मृत्यु से लगभग 20 दिन पहले आई थी और उसके इस आश्वासन पर कि मृतक को ठीक से रखा जाएगा। राज बाला उसके साथ गयी और उसके लगभग 20-25 दिन बाद दूसरे आरोपी राजिंदर ने मृतक के पिता दीप चंद को सूचित किया कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। फिर वह दीप चंद और धज्जा राम के साथ मृतक के घर गया और उन्हें वहां आरोपी नहीं मिला और उसके बाद वे घटना की सूचना देने के लिए पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ने मौके का दौरा किया और मृतक के घर से माचिस का डिब्बा, जले हुए कपड़े और कुछ मिट्टी के तेल के साथ स्टील का कंटेनर जिसमें पुलिस द्वारा बरामद कर जब्त किया गया। ।जिरह में उसने कहा कि उसे नहीं पता कि आरोपी सुभाष, उसके भाई राजिंदर और राम किशन के बीच कोई विवाद था। यह उनके साक्ष्य में भी है कि उनकी बहन की बेटी का विवाह राम किशन के बेटे से हुआ है।अदालत के एक सवाल के जवाब में, पीडब्लू-2 ने कहा कि रु 5, 000 रुपये की मांग पहली 7000 रू की मांग के के लगभग दो साल बाद किया गया था। पीडब्लू-2 के साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य सामने आएंगेः–

1. मृतक और उसका पति सुभाष अपनी शादी के पाँच महीने बाद दीप चंद के पास गए और उनसे दुकान खोलने के लिए 7,000 रुपये की राशि देने के लिए कहा।; और

2. पहली मांग के दो साल बाद, रु 5,000 की माँग की गई, अभियुक्त के छोटे भाई की शादी करने के लिए

(13) मेरे विचार में, यह गवाह प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और उसे इस तथ्य के बारे में केवल दूसरों से पता चला था।इसलिए यह सुना-सुनाया है।

(14) पीडब्लू-3 मृतक का पिता है। उनके साक्ष्य से स्पष्ट है कि उनकी बेटी की शादी छह साल पहले हुई थी और उससे दो बेटियां और बेटा पैदा हुए थे। उन्होंने आगे गवाही मे कहा कि उनकी बेटी को शादी के बाद छह महीने तक ठीक से रखा गया था, लेकिन उसके बाद दोनों अभियुक्तों ने पर्याप्त दहेज के अभाव में उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी बेटी और पहले आरोपी सुभाष उनकी शादी के लगभग छह महीने बाद उनके पास आए और आरोपी सुभाष ने उनसे कहा कि उन्हें एक दुकान शुरू करनी है।इसलिए उसे 7000 रुपये की राशि की आवश्यकता थी। राशि न देने पर वह उसकी बेटी को अपने साथ नहीं रखेंगे क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। इसलिए उन्होंने पैसे की व्यवस्था की और अपनी बेटी को बसाने के लिए उसे सुभाष को सौंप दिया। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी ने उस समय उन्हें बताया था कि अभियुक्त संख्या 1 ओर 2 दोनों उसे प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पहली मांग के लगभग दो साल बाद, मृतक उनके पास आयी थी और उनसे रु 5000 मांगे थे जो की उसके पति और उसके भाई राजिंदर द्वारा अपने छोटे भाई कृष्ण की शादी की आवश्यकता के लिए थे। उसने आगे बताया कि इस अवधि के बीच उन्होंने बिना किसी कारण के उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे परेशान किया। चूंकि वह उनकी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ रखा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे कृष्ण की शादी से 7-8 दिन पहले मृतक की सास उनके पास आई और यह वचन देते हुए कि मृतक को ठीक से रखा जाएगा, उन्होंने राज बाला को अपने साथ भेज दिया और कृष्ण की शादी उनकी बेटी की मृत्यु से एक महीने पहले हुई थी और उसके बाद आरोपी राजिंदर उनकी मृत्यु के अगले दिन मृत्यु के बारे में सूचित करने के लिए उनके पास आया था। फिर पीडब्लू 2 धज्जा सिंह के साथ अपनी बेटी के घर गया जहाँ कोई भी आरोपी मौजूद नहीं था। फिर वे श्मशान घाट गए जहाँ उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किया जा रहा

था। फिर उसने मामले की सूचना पुलिस को दी।

(15) पीडब्लू-3, जो मृतक का पिता है, के साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य सामने आएंगेः–

(i) मृतक और उसका पति अपनी शादी के छह महीने बाद पीडब्लू-3 के पास गए और उनसे 7000 रुपये की राशि की मांग की।

(ii) इसके बाद दो साल के भीतर फिर से 5000 रुपये की मांग की गई, अपने दामाद के छोटे भाई की शादी करने के लिए

(iii) चूंकि वह 5000 रुपये की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था, उसने अपनी बेटी को अपने साथ रखा।

(iv) मृतक की मृत्यु से लगभग 20 दिन पहले उसकी सास पीडब्लू-3 के घर आई और मृतक को अपने साथ ले गई और उसके 20 दिन बाद उसे सूचित किया गया कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है।

(v) मृतक ने दो बेटी और एक बेटे को जन्म दिया था।

(16) इस साक्ष्य की जांच करने से पहले, मैं अभिलेख पर अन्य साक्ष्य का उल्लेख करूंगा। पीडब्लू-4 ने अपदस्थ किया कि राज बाला की शादी आरोपी सुभाष से 8 मार्च, 1992 को हुई थी और उसने एक प्रति में कन्यादान प्रविष्टियां कीं। उन्होंने आगे दहेज सूची तैयार की और दीप चंद (पीडब्लू-3) ने 14 सितंबर, 1996 को अन्य दस्तावेजों के साथ उक्त सूची का फोटोस्टेट पुलिस को सौंप दिया, जिसे पुलिस ने वसूली ज्ञापन प्रदर्शनी PE के तहत अपने कब्जे में ले लिया, जिसे उनके द्वारा सत्यापित किया गया था। प्रदर्शनी PF कन्यादान की प्रविष्टि है। उनके साक्ष्य से यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सुभाष और मृतक के बीच शादी 8 मार्च, 1992 को हुई थी।

(17) PW-5 हेड कांस्टेबल है, जिसने इस मामले की आंशिक रूप से जांच की और फोटोस्टैट प्रतियों को अपने कब्जे में ले लिया-प्रदर्शनी P-G और P-H और उन दस्तावेजों को भी जो मार्क-X और मार्क-A के रूप में चिह्नित हैं, जिन्हें दीप चंद ने वसूली ज्ञापन प्रदर्शनी P-E के तहत प्रस्तुत किया और उसके बाद PW-6 द्वारा जांच शुरू की गई। PW-6 के अनुसार, उन्होंने मृतक के घर का दौरा किया और साइट प्लान तैयार किया, जो की PF द्वारा प्रदर्शित किया गया और एक स्टील का कंटेनर जिसमें कुछ मिट्टी का तेल, टूटी हुई माचिस की पेटी और वसूली ज्ञापन, प्रदर्शनी P-

B के तहत अपने

कब्जे में ले लिया।

(18) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, निम्नलिखित निष्कर्ष पर सुरक्षित रूप से पहुँचा जा सकता हैः–

(i) मृतक के साथ पहले आरोपी की शादी 8 मार्च, 1992 को हुई थी।

(ii) मृतक ने तीन बच्चों (दो बेटियां और एक बेटा) को जन्म दिया।

(iii) 27 जून 1996 को उनकी मृत्यु हो गई और

(iv) मृतक के माता-पिता के आने से पहले ही सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

(19) इसलिए, यह निष्कर्ष निकाल जा सकता है कि मृतक की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में या सामान्य परिस्थितियों की तुलना से अन्यथा हुई थी, लेकिन उपरोक्त निष्कर्ष धारा 304-B, IPC के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके आगे यह साबित करने की आवश्यकता है कि क्या उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले मृतक क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई था और क्या PW-2 के साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। यह साबित करने के लिए कि दहेज की मांग की गई थी, अभिलेख पर PW-2 or PW-3 के साक्ष्य हैं। लेकिन उनके साक्ष्य से यह नहीं पता चलता है कि दहेज की मांग मृतक की मृत्यु से ठीक पहले की थी। PW-2 ओर PW-3 के अनुसार, शादी के छह महीने बाद मृतक और उसका पति सुभाष PW-3 के पास आए और उससे अभियुक्त द्वारा दुकान खोलने के लिए 7,000 रुपये की राशि देने को कहा। राज बाला (मृतक) की शादी 8 मार्च, 1992 को हुई थी। इसलिए मांग वर्ष 1993 के अंत से पहले होनी चाहिए। जोकी 1996 में उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए,7000 रुपये की मांग, को मृतक की 'मृत्यु से ठीक पहले' नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि PW-2 ओर PW-3 के अनुसार, अभियुक्त के भाई की शादी करने के लिए 5,000 रुपये की मांग, पहली मांग के दो साल बाद की गई थी। यहां तक कि पीडब्लू-2 ने भी अदालत के सवाल के जवाब में कहा कि 5000 रू की दूसरी मांग, पहली मांग के दो साल बाद की गयी थी। यहां तक कि मृतक के पिता PW-3 ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि दूसरी मांग पहली मांग के दो साल बाद की गई थी। इसलिए यह मांग 1994 में कुछ समय के लिए की गई होगी,

लेकिन 1996 मे मृतक की मृत्यु हुई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज बाला की मृत्यु से तुरंत पहले कोई मांग की गई थी। जहा 5000 रुपये की मांग ओर मृत्यु के बीच दो साल का अंतराल है, इसलिए, इस मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-B के तहत उपधारणा नहीं लगाई जा सकती है।

(20) इसके अलावा, मैं PW-3 के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। PW-3 के अनसार, जब पहली मांग के दो साल बाद 5000 रू की दूसरी मांग की गयी, उन्होंने अपनी बेटी को साथ रखा और उसे वापस वैवाहिक घर नहीं भेजा और मृतक की मृत्यु से लगभग 20 दिन पहले, मृतक की सास आई और उसे अपने छोटे बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ले गई। यह PW-3 के साक्ष्य में भी है कि मृतक ने तीन बच्चों को जन्म दिया था। अगर वास्तव मे 5000 की मांग शादी के 2-1/2 ओर 3 साल के भीतर हुई थी और यदि मृतक दूसरी मांग की तारीख से PW-3 के साथ रहती थी, तो उसके तीसरे बच्चे को जन्म देने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, मैं मृतक के पिता PW-3 के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, जब यह स्वीकृत है कि मृतक ने 1992 में शादी के बाद तीन बच्चों को जन्म दिया था।

(21) PW-3 के साक्ष्य के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं है जो यह दर्शाता है कि दहेज की मांग की गई थी। यह किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि मृतक अपनी मृत्यु से 20 दिन पहले तक, दूसरी मांग के बाद, अपने पिता PW-3 के साथ रह रही थी। PW-2 के साक्ष्य को सीधे-सीधे खारिज किया जा सकता है, क्युकी वह सुना-सुनाया साक्ष्य है। उसने यह नहीं बताया कि वह PW-3 से कैसे संबंधित हैं। PW-3 के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में, उसने केवल इतना कहा कि वे संबंध से दीप चंद के भाई हैं। यह स्पष्ट है कि PW-2 मृतक के पिता का असली भाई नहीं है।

(22) यहां तक कि, मिट्टी के तेल के टिन, माचिस और जले हुए कपड़ों की बरामदगी के संबंध में, जांच अधिकारी के अलावा कोई सबूत नहीं दिया गया है। वह भी, तथाकथित वसूली, मृतक की मृत्यु के लंबे समय बाद की गई है। जाँच सबसे पहले PW-5 द्वारा की गई थी, न कि PW-6 द्वारा। PW-5 ने मामला दर्ज करने के तुरंत बाद घटनास्थल का दौरा किया होगा और उन वस्तुओं को जब्त कर लिया होता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि PW-5, जो जांच अधिकारी हैं, ने कभी भी मौके का दौरा नहीं किया और यह केवल तभी हुआ जब PW-6, जिन्होंने समय बीतने के बाद जांच शुरू की, ने मौके का दौरा किया और बरामदगी दिखाई। इसलिए, मैं तथाकथित पुनर्प्राप्ति पर कोई भरोसा करने में असमर्थ हूं।

(23) अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि दोनों अभियुक्त (जो इन दोनों अपीलों में अपीलार्थी हैं) अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी होने के हकदार हैं।

(24) तदनुसार, मैं दोनों अपीलों को स्वीकार करता हूं और विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा के फैसले को खारिज करता हूं। दोनों आरोपी 6-1/2 वर्षों से अधिक समय से जेल में हैं। चूंकि उनकी अपीलों को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं होने पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा